न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू
अ

अपील संख्या 98 / 2020

उम्मेद सिंह पुत्र हरनारायण, जाति जाट, निवासी किठाना, पंचायत समिति चिडावा, चिडावा, जिला झुंझुनूं वगैरह।

-- अप

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. बिरेन्द्र पुत्र हरचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम किठाना, पंचायत समिति चिडावा, चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

-- रेस

--

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 अपील खिलाफ दिनांक 13.03.2020 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, चिडावा बाबत ग्राम पंचायत किठाना क नं0 1 के मतदाता क्रम सं0 374 को हटवाने बाबत।

--

उपस्थित

1. श्री इन्दुभूषण शर्मा, एडवोकेट- अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री कैलाश कल्याण, एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 24.0

उक्त विषयक अपील मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्र पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की ग प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर क दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीला अनुसार निम्नानुसार है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम पंचायत किठाना के वार्ड न0 1 मतदाता क्रम सं0 374 से हटवाने के लिए प्रारूप सं0 2 मे 3 पत्र पेश किया था जिसे रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने आदेश दिनांक 13.03.2020 के द्वारा अस्वीकार किय कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश हैः- आदेश जैर बहस के अनुचित है। आदेश जैर बहस स्पिकिंग नही है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 का नाम विधान सभा पिल झुंझुनूं की मतदाता सूची सन् 2020 मे दर्ज है तथा इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की ग अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 का ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के वार्ड नं0 1 के मतदाता क्रम सं0 374 से जाने का आदेश दिया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील त
की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश जैर बहस के आधार अनुचित है। आदेश
बहस स्पिकिंग नही है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 का ग्राम पंचायत किठाना के अलावा विधान सभा पिल
सन् 2020 मे दर्ज है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जा
रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के वार्ड नं0 1 के मतद
क्रम सं0 374 से हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभा
अपीलान्ट के तर्को का समर्थन किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 ग्राम पंचा
किठाना के अलावा रेस्पो0 सं0 2 का नाम विधानसभा क्षेत्र पिलानी मे भी है। अतः अपील अपील
स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के व
नं0 1 के मतदाता क्रम सं0 374 से हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को
विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 ग्राम पंचायत किठाना का निवासी
रेस्पो0 सं0 2 के बाप–दादाओं के नाम 30–40 वर्षो से ग्राम पंचायत किठाना की मतदाता सूची
है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठ
पंचायत समिति चिडावा के वार्ड नं0 1 के मतदाता क्रम सं0 374 मे यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। **राजस्
पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के बिन्दू सं0 21 के उप बिन्दू 1 मे वर्णित नियम 14 या
के अनुसार जिला कलेक्टर को अपील निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित क
के 15 दिवस मे मे ही करनी होगी। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के बिन्दू
21 ए मे वर्णित नियम 20 और 21 के अनुसार मतदाता सूची मे नाम संशोधन नही किया जावे
स्थानान्तरित नही किया जावेगा, विलोपित नही किया जावेगा जब तक कि सार्वजनिक नोटिस नि
23 या 58 मे संबंधित मतदाता को नही दे दिया गया हो।** चूंकि वर्णित अपील मे रेस्पो0 सं0 2
नाम ग्राम पंचायत अरडावता की मतदाता सूची से विलोपित कर दिया गया है और वर्तमान मे रेस
सं0 2 केवल ग्राम पंचायत किठाना का ही मतदाता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती
एवं अदालत मातहत का आदेश दिनांक 13.03.2020 यथावत रखा जाता है। मातहत रेकार्ड आ
प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तक
जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झु

जिला कलक्टर झु